



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा)-176213
क्रमांक:हिशिबो(19)संचालन-1/ दिनांक सूची/मार्च-2017-20432-940 दिनांक:- 30/3/2017

अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की मांग के दृष्टिगत मार्च, 2017 से केन्द्र अधीक्षक, उप अधीक्षक की पारिश्रमिक/मानदेय की दरों में क्रमशः 90 से 100, 80 से 90 तथा पर्यवेक्षक के लिए 70 से 75 रुपये प्रति सत्र की दर से वृद्धि करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं जिसका भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों को बकाया राशि के रूप में किया जाएगा।

सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि/

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को विषय बार दिनांक सूची सहित प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष/सचिव।
3. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001।
4. अतिरिक्त सचिव/समस्त संयुक्त/ उप सचिव/सहायक सचिव, हि०प्र०स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. उप नियन्त्रक वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा को इस आशय से प्रेषित है कि अधिसूचना को बोर्ड की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत करें।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर सैल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करें।

सचिव